रजिस्ट्री संख्या डी० एल०—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 204] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 5, 1995/चैत्र 15, 1917
No. 204] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 5, 1995/CHAITRA 15, 1917

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और
सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1995

का. आ. 319(अ).—केन्द्रीय सरकार अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन राजकोट सीड्स ऑयल एण्ड बुलियन मर्चेन्ट्स एसोसिएशन लि., राजकोट द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किए गए आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एसोसिएशन को एरण्ड में अग्रिम संविदा के बारे में

23-4-1995 से 22-4-1996 (जिसमें ये दोनों दिन शामिल हैं) की एक वर्ष की और अवधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. एसोसिएशन एतद्द्वारा मान्यता इस शर्त के अध्याधीन है कि उक्त एसोसिएशन ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगी, जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएं।

[मिसिल सं. 12(2)/आई.टी./95]

कमल किशोर, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 1995

S.O. 319(E).—The Central Government, in consultation with the Forward Markets Commission, having considered the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act ,1952 (74 of 1952), by the Rajkot Seeds Oil and Bullion Merchants' Association Lid., Rajkot, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a further period of one year from 23-4-1995 to 22-4-1996 both days inclusive) in respect of forward contracts in castorseed.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such direction as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(2)IT|95]

KAMAL KISHORE, Economic Adviser.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995